विनियामक और अन्य उपाय

अगस्त 2012

भारिबैं/2012-13/156 ग्राआऋवि.सं.एमएसएमइ एण्ड एनएफएस.बीसी.20/06.02.31 /2012-13, 1 अगस्त 2012

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक /
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को उधार - वित्तीय साक्षरता और परामर्शी सहायता की अनिवार्यता

एमएसएमइ की चौथी जनगणना में यह पाया गया है कि एमएसएमइ क्षेत्र में वित्तीय वंचन (एक्स्क्लूजन) की मात्रा काफी अधिक (92 प्रतिशत) है। अतः बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि उक्त वंचित यूनिटों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र के भीतर लाया जाए।

2. अध्ययनों से पता चला है कि लेखाकरण तथा वित्त, कारोबारी आयोजना आदि सहित वित्तीय साक्षरता, परिचालनगत कौशल का अभाव एमएसई के उधारकर्ताओं के लिए कठिन चुनौती बनी है, जिसके कारण इन जटिल वित्तीय क्षेत्रों से बैंकों द्वारा सुविधा प्रदान किए जाने की जरूरत अधोरेखित हो जाती है । साथ ही साथ, एमएसई उद्यम माप (स्केल) एवं आकार के अभाव के कारण इस संबंध में और असहाय बन जाते हैं।

3. इन कमियों को कारगर ढ़ंग से तथा निर्णायक रूप से दूर करने के लिए बैंक शाखाओं को अपने एमएसई ग्राहकों को वित्तीय साक्षरता एवं परामर्शी सहायता प्रदान करते हुए उनके कार्यों के प्रति अधिक सक्रिय भूमिका अपनानी होगी । इसके लिए बैंक या तो अपनी शाखाओं में अपनी तुलनात्मक सुविधानुसार अलग से विशेष कक्ष स्थापित करें अथवा उनके द्वारा स्थापित वित्तीय साक्षरता केंद्रों में इसके लिए अलग कार्य मद (वर्टिकल) बनाएं। इस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक के स्टाफ को भी अनुकूलित प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित कराया जाए ।

4. कृपया प्राप्ति सूचना दें और 24 अगस्त 2012 तक एक कार्रवाई रिपोर्ट भेज दें ।

आरबीआई/2012-13/157 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीएल.बीसी.सं.18/03.05.90/2012-13, 01अगस्त 2012

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

शाखा लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना

कृपया आप शाखाएं खोलने, उनका स्थान परिवर्तन, या विलयन संबंधी प्रक्रिया को उदार बनाने के विषय पर 13 जून 2006 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीएल.बीसी.सं.90/03.05.09ए/ 2005-06 देखें।

2. शाखा लाइसेंसीकरण संबंधी वर्तमान सामान्य नीति के अनुसार शाखाएं खोलने, स्थान परिवर्तन, विलयन या परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) द्वारा नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाता है, तथा इसकी अग्रिम प्रतिलिपि भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय भेजनी है। रिज़र्व बैंक द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर गठित अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) ऐसे आवेदनों पर चर्चा करती है तथा सिफ़ारिशें करती है। रिज़र्व बैंक ईसी की सिफ़ारिशों को ध्यान में रखता है और आवेदनपत्रों का निपटान करता है ।

3. आवेदनपत्रों के निपटान में तेजी लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को आरआरबी की शाखाएं खोलने, स्थान परिवर्तन विलयन या परिवर्तन के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर संबंधित अधिकार प्राप्त समितियों को संदर्भित किए बिना ही निर्णय लेने के लिए शक्तियां प्रदान की जाए । आरआरबी उक्त आवेदन पत्र उस नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के जरिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजना जारी रखेगें जो आवेदन पत्र के गुणदोषों के संबंध में अपनी टिप्पणियां देगा और उसकी अग्रिम प्रतिलिपि रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजेगा। आवश्यकता होने पर रिज़र्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करेगा। अब तक की तरह ही, शाखाओं के स्थान परिवर्तन, विलयन, और परिवर्तन के लिए जिला परामर्शदात्री समिति का अनुमोदन आवश्यक रहेगा।

4. अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्ततर्तित बने रहेंगे ।

आरबीआई/2012-13/158 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीएल. बीसी.सं.19/03.05.90/2012-13, 1 अगस्त 2012

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

शाखा लाइसेंस नीति में छूट - टियर 2 के केन्द्र

कृपया 18 नवंबर 2010 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका. आरआरबी.बीसी.सं.28/ 03.05.90 ए / 2011-12 देखें जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को टियर3 से टियर 6 केंद्रों में (2001 की जनगणना के अनुसार 49,999 की जनसंख्या तक) भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रत्येक मामले में अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना और इसकी रिपोर्टिंग की शर्त के अधीन, शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान की गई है बशर्ते वे कतिपय अपेक्षाएं पूरी करते हों।

2. टियर 2 केन्द्रों में बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को टियर 3 से 6 केन्द्रों हेतु नीति के समान टियर 2 केन्द्रों में शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाए।

3. तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को टियर 2 केन्द्रों में (2001 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या) रिज़र्व बैंक से प्रत्येक मामले में अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना और इसकी रिपोर्टिंग की शर्त के अधीन शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते वे अद्यतन निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करते हों:

i) जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में उनकी पूँजी का अनुपात (सीआरएआर) न्यूनतम 9 प्रतिशत हो;

ii) निवल अनर्जक आस्तियाँ 5 प्रतिशत तक हो;

iii) पिछले वर्ष में उनके नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में कोई चूक नहीं हुई हो ;

iv) गत वित्तीय वर्ष के दौरान उन्हें निवल लाभ हुआ हो;

v) सीबीएस का अनुपालन करते हों।

4. पैरा 3 में उल्लिखित शर्तें पूरी न करनेवाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अब तक की तरह, रिज़र्व बैंक/नाबार्ड से संपर्क बनाए रखना होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा टियर 1 केन्द्रों में (2001 की जनगणना के अनुसार 100,000 और उससे अधिक की जनसंख्या वाले केन्द्र) शाखाएं खोलने के लिए भी भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति की आवश्यकता बनी रहेगी।

5. टियर 2 से 6 केन्द्रों में खोली गई शाखाओं के ब्यौरे की रिपोर्ट तिमाही की समाप्ति से एक पखवाड़े के भीतर 29 मार्च 2011 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.56/03.05.90 ए /2011-12 में निहित फार्मेट में रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्योत्तर, स्वतः जारी लाइसेंस/सों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। खोली गई शाखा के परिसर में उनके ग्राहकों/जनता की जानकारी के लिए लाइसेंस को प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि उनके मन में यह बैठ जाए कि यह शाखा बैंकिंग कारोबार करने के लिए प्राधिकृत है।

6. अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

आरबीआई/2012-13/159 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 22/03.05.28(बी)/2012-13, 1 अगस्त 2012

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 24- सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना

कृपया उपर्युक्त विषय पर 27 दिसंबर 2010 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.43/03.05.28 (बी)/2010-11 देखें।

2. 31 जुलाई 2012 को जारी मौद्रिक नीति 2012-13 की प्रथम तिमाही की समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि 11 अगस्त 2012 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) घटाकर उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 23 प्रतिशत कर दिया जाए।

आरबीआई/2012-13/163 डीपीएसएस.सीओ.सीएचडी.सं.274/ 03.01.02/2012-13, 10 अगस्त, 2012

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक /
जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक

सीबीएस सक्षम शाखाओं द्वारा मल्टीसिटी/सभी शाखाओं पर देय चेकों को जारी करना

जैसा कि आपको पता है, बैंकों में लागू विभिन्न कोर बैंकिंग समाधानों (सीबीएस) के कारण ग्राहक सेवा के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण

बदलाव आया है। एक शाखा के ग्राहक अब बैंक के ग्राहकों के रूप में निश्चित प्रयोजनों के लिए किसी भी शाखा से अपने खाते का उपयोग कर सकते हैं। सीबीएस द्वारा विभिन्न भुगतान उत्पादों और चैनलों के माध्यम से सीबीएस द्वारा उपलब्ध कराई जा रही नई सुविधाओं ने ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं को बेहतर बनाया है जिसके परिणामस्वरूप देशभर में धन को तेजी से हस्तांतरण संभव हुआ है। सीबीएस का इस्तेमाल करके बैंकों ने चुनिन्दा ग्राहकों को 'सममूल्य पर देय'/ 'मल्टी सिटी' चेक जारी करना आरंभ कर दिया है जिनमें लेनदेन संबंधी अलग कोड (29, 30 और 31) दिया गया होता है और इसके लिए बैंकों ने सीबीएस सक्षम शाखाओं में ऐसे लेनदेनों का निपटान करने के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना की है।

2. इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने उस समय 35,000 से अधिक बैंक शाखाओं में सीबीएस की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 31 अक्तूबर, 2007 के अपने परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.सं. 644/03.01.02/2007-08 के अंतर्गत यह कहा था कि सभी सीबीएस सक्षम शाखाओं के द्वारा 'सममूल्य पर देय' / 'मल्टी सिटी' चेक की सुविधा सभी पात्र और अनुरोध करने वाले ग्राहकों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

3. इस संबंध में बैंकों द्वारा अपनाई जा रही पद्धति की समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि बैंक इस प्रकार के चेक अलग-अलग ढंग से जारी कर रहे हैं। कुछ बैंक 'सममूल्य पर देय'/ 'मल्टी सिटी' चेक, मूल्य की सीमा के साथ जारी कर रहे हैं जबकि कुछ बैंक खाते की श्रेणी (उच्च निवल मालियत वाले ग्राहक) के आधार पर चेक जारी कर रहे हैं। मूल शहर से भिन्न किसी अन्य शहर में इन चेकों के समाशोधन होने पर इंटरसोल प्रभार लिए जाने के भी कई उदाहरण सामने आए हैं।

4. देश भर में सभी समाशोधन स्थानों पर बाहरी चेकों के समाशोधन के लिए प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और चेक समाशोधन में और भी अधिक कुशलता लाने के लिए, सभी सीबीएस सक्षम बैंकों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे सभी पात्र ग्राहकों को केवल 'सममूल्य पर देय'/ 'मल्टी सिटी' सीटीएस 2010 मानक चेक ही जारी करें। खातों के जोखिम वर्गीकरण पर आधारित यथोचित बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंध प्रक्रिया को भी अपनाया जा सकता है। चूंकि, ऐसे चेकों (सममूल्य पर देय) को समाशोधन गृहों में स्थानीय चेक के रूप में समाशोधित किया जाता है इसलिए ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। इस संबंध में बैंकों की बोर्ड द्वारा अनुमोदित अद्यतन नीति को बैंक की वेब साइट पर उपलब्ध कराया जाए और इस संबंध में ग्राहकों को सूचित किया जाए और उसकी एक प्रति हमें प्रेषित की जाए।

5. उपर्युक्त अनुदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं।

आरबीआई/2012-13/164बैंपविवि.सं.एलईजी.बीसी. 35/09.07.005/2012-13, 10 अगस्त 2012

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता

कृपया वर्ष 2012-13 के लिए 17 अप्रैल 2012 को घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य का पैरा 88 और 89 देखें ।

नवंबर 2005 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 'शून्य' अथवा अत्यंत न्यूनतम शेष और प्रभार वाला एक बुनियादी बैंकिंग 'नोफ्रिल्स' खाता उपलब्ध कराएं, जिससे ऐसे खाते आबादी के बृहद् भाग के लिए सुलभ हो सकें। 'नोफ्रिल्स' खातों के नाम से जुड़ी गलत अवधारणा को दूर करने के लिए एवं संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में अधिक समरूप रीति से बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुनियादी 'नोफ्रिल्स' खाता खोलने से सम्बन्धित दिशानिर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, वित्तीय समावेशन पर 11 नवंबर 2005 के परिपत्र बैंपविवि.सं.एलईजी. बीसी.44/09.07.005/ 2005-06 में निहित अनुदेशों के अधिक्रमण में बैंकों को सूचित किया जाता है कि बैंक एक "बुनियादी बचत बैंक जमा खाता" खोलने का प्रस्ताव दें जिसमें उनके सभी ग्राहकों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम सामान्य सुविधाएं दी जाएंगी:

i. 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' को सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध एक सामान्य बैंकिंग सेवा माना जाना चाहिए।

ii. इस खाते के लिए किसी न्यूनतम शेष की अपेक्षा नहीं रहेगी।

iii. इस खाते में उपलब्ध सेवाओं में बैंक की शाखा तथा एटीएमों में नकदी जमा व आहरण; इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनलों अथवा केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और विभागों द्वारा आहरित चेकों के जमा/संग्रहण के माध्यम से धन प्राप्ति /जमा, शामिल होंगे;

iv. यद्यपि एक माह के दौरान ग्राहक द्वारा जमा करने की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होगी, तथापि खाताधारकों को एक माह के अंदर एटीएम आहरणों सहित अधिकतम चार आहरणों की ही अनुमति होगी; और

v. एटीएम कार्ड अथवा एटीएम-सह-डेबिट कार्ड की सुविधा होगी;

3. उक्त सुविधाएं बिना किसी प्रभार के उपलब्ध कराई जाएंगी । साथ ही, 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' का परिचालन न होने पर या अपरिचालित खाते को सक्रिय करने के लिए किसी प्रकार का प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

4. बैंक तर्कसंगत एवं पारदर्शी आधार पर निर्धारित बुनियादी न्यूनतम सेवाओं से परे अतिरिक्त मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए कीमतें तय करने वाली संरचना सहित अन्य अपेक्षाएं विकसित करने तथा उन्हें भेदभाव रहित आधार पर लागू करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

5. 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' बैंक खाते खोलने के लिए 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (एएमएल) पर समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अधीन होगा । यदि ऐसा खाता सरलीकृत केवाईसी मानकों के आधार पर खोला जाता है, तो इस खाते को 'छोटा खाता' भी माना जाएगा और उस पर 'अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व' पर 02 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 11/14.01.001/2012-13 के पैरा 2.7 में निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

6. 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' के धारक उसी बैंक में कोई अन्य बचत बैंक जमा खाता खोलने के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि उस बैंक में किसी ग्राहक का कोई दूसरा बचत बैंक जमा खाता पहले से मौजूद है, तो उसे 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' खोलने की तिथि से 30 दिनों के भीतर उसे बंद करना होगा।

7. ऊपर पैरा 2 में निहित अनुदेशों के अनुसार मौजूदा बुनियादी बैंकिंग 'नोफ्रिल्स' खातों को 'बुनियादी बचत बैंक जमा खातों' में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए।

आरबीआई/2012-13/165 डीपीएसएस.सीओ.सीएचडी.सं.284 / 03.06.03 / 2012-13, 13 अगस्त 2012

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक /
जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक

स्थानीय चेकों के समाशोधन में होने वाली देरी के संबंध में क्षतिपूर्ति निर्धारण

जैसा कि आपको विदित है कि बैंकों को अपनी चेक संग्रहण नीति में स्थानीय और बाहरी चेकों की वसूली में लगने वाले समय के साथ-साथ क्रेडिट में विलंब होने पर देय क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट करनी होती है। तथापि, विभिन्न बैंकों की चेक संग्रहण नीति और क्षतिपूर्ति नीतियों के अवलोकन से यह पता चला है कि स्थानीय चेकों की वसूली में विलंब होने पर क्षतिपूर्ति के संबंध में इनमें कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आए हैं जहां स्थानीय चेकों के संबंध में ग्राहक के खाते में चेक संग्रहण नीति में दर्शाई गई अवधि के बाद पैसा क्रेडिट हुआ और और वह भी बिना किसी क्षतिपूर्ति के।

2. इस संबंध में 24 नवंबर 2008 के हमारे परिपत्र सं. डीपीएसएस.सीओ.(सीएचडी) सं 873 / 03.09.01 / 2008-09 का संदर्भ लें जिसकी शर्तों के अनुसार बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे, स्थानीय चेकों सहित, चेकों की वसूली की समय सीमा का उल्लेख अपनी संबन्धित चेक संग्रहण नीति में करें। इस परिपत्र के पैरा 4(ii) में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्थानीय चेकों के मामले में किसी भी स्थिति में संबन्धित वापसी समाशोधन के समाप्त होने के पश्चात बैंक को ग्राहक के खाते में आभासी क्रेडिट अवश्य दिखानी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में आहरण की अनुमति उसी दिन अन्यथा अधिक से अधिक अगले कार्यदिवस के आरंभ होने के एक घंटे के भीतर होनी चाहिए, बशर्ते सामान्य रक्षोपाय पूरे कर लिए गए हों।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए बैंको को यह निर्देश दिया जाता है कि वे स्थानीय चेकों के संग्रहण के मामले में भी देरी से किए गए भुगतान के संबंध में देय क्षतिपूर्ति को शामिल करने के लिए अपनी चेक संग्रहण नीति में संशोधन करें। यदि स्थानीय चेक की वसूली में हुई देरी के संबंध में कोई दर विनिर्दिष्ट नहीं की गई है तो विलंब की संगत अवधि के लिए बचत बैंक ब्याज दर पर क्षतिपूर्ति की जाएगी।

4. जहां तक बाहरी चेकों की वसूली अवधि और देर से हुई क्रेडिट की क्षतिपूर्ति का संबंध है, 24 नवंबर 2008 के परिपत्र के पैराग्राफ 4 (iii) में निहित अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

5. सभी बैंक इस बात पर ध्यान दें कि वे अपनी संशोधित चेक संग्रहण नीति का प्रचार अपनी शाखाओं में स्थित सूचना पटल और अपनी वेबसाइट पर करें ताकि बेहतर ग्राहक सेवा और सूचना का प्रसार सुनिश्चित किया जा सके। संशोधित चेक संग्रहण नीति की एक प्रति हमें भी भेजी जाए।

6. उपर्युक्त अनुदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं।

आरबीआई/2012-13/168 बैंपविवि.सं.एलईजी.बीसी. 37/09.07.005/2012-13, 16 अगस्त 2012

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

"दोनों खाताधारकों में से कोई एक अथवा उत्तरजीवी" अथवा "दोनों खाताधारकों में से प्रथम खाताधारक अथवा उत्तरजीवी" अधिदेश के साथ बैंकों में मीयादी/सावधि जमा की अवधिपूर्ण चुकौती - स्पष्टीकरण

कृपया 4 नवंबर 2011 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 46/09.07.005/2011-12 का पैरा 4 देखें जिसके द्वारा हमने सूचित किया था कि यदि 'दोनों खाताधारकों में से कोई एक अथवा उत्तरजीवी ' अथवा 'दोनों खाताधारकों में से प्रथम खाताधारक अथवा उत्तरजीवी' के अधिदेश के साथ सावधि/मीयादी जमाराशि के संयुक्त जमाकर्ता एक जमाकर्ता की मृत्यु होने पर दूसरे जमाकर्ता को अपनी सावधि/मीयादी जमाराशियों का परिपक्वतापूर्व आहरण करने की अनुमति देना चाहते हैं तो बैंक उक्त आहरण की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे बशर्ते उन्होंने इस प्रयोजन के लिए जमाकर्ताओं से विशेष संयुक्त अधिदेश प्राप्त किया हो । इस संबंध में कृपया हमारे 09 जून 2005 के परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 95/09.07.005/2004-05 का पैरा 3 भी देखें जिसके अनुसार बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे खाता खोलने संबंधी फॉर्म में ही इस आशय का एक वाक्यांश शामिल करें कि जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में मीयादी जमाराशियों की अवधिपूर्व समाप्ति की अनुमति दी जाएगी, जो उन शर्तों के अधीन होगी जिन्हें खाता खोलने संबंधी फॉर्म में विनिर्दिष्ट किया जाएगा । बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे इस सुविधा का व्यापक प्रचार करें और इस संबंध में जमा खाताधारकों को मार्गदर्शन प्रदान करें ।

2. यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि 'दोनों खाताधारकों में से कोई एक अथवा उत्तरजीवी' अथवा 'दोनों खाताधारकों में से प्रथम खाताधारक अथवा उत्तरजीवी' अधिदेश वाली सावधि/मीयादी जमाराशियों के मामले में बैंक एक जमाकर्ता की मृत्यु के बाद उत्तरजीवी संयुक्त जमाकर्ता द्वारा जमाराशि के अवधिपूर्ण आहरण की अनुमति दे सकते हैं लेकिन केवल उसी स्थिति में जब संयुक्त जमाकर्ताओं की ओर से इस आशय का संयुक्त अधिदेश हो ।

3. यह बात हमारी जानकारी में आई है कि कई बैंकों ने न तो खाता खोलने वाले फार्म में इस वाक्यांश को शामिल किया है और न ग्राहकों को ही इस प्रकार के अधिदेश की सुविधा के बारे में जागरूक बनाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं । इससे 'उत्तरजीवी' जमा खाताधारक (धारकों) को अनावश्यक असुविधा होती है । अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे पूर्वोक्त वाक्यांश को खाता खोलने वाले फार्म में अनिवार्य रूप से शामिल करें और अपने मौजूदा एवं भावी सावधि जमाकर्ताओं को इस प्रकार के विकल्प की उपलब्धता के बारे में सूचित भी करें ।

4. संयुक्त जमाकर्ताओं को मीयादी जमा करते समय या बाद में जमा की मीयाद/अवधि के दौरान किसी भी समय उक्त अधिदेश देने की अनुमति दी जा सकती है। यदि ऐसा अधिदेश लिया जाता है, तो बैंक मृतक संयुक्त जमा धारक के कानूनी वारिसों की सहमति मांगे बिना ही उत्तरजीवी जमाकर्ता द्वारा मियादी/ सावधि जमा के परिपक्वतापूर्ण आहरण की अनुमति दे सकते हैं । यह पुनः दोहराया जाता है कि इस प्रकार के परिपक्वतापूर्ण आहरण पर किसी प्रकार का दंडात्मक प्रभार नहीं लगेगा ।

5. इस परिपत्र में दिया गया स्पष्टीकरण 9 जून 2005 के परिपत्र बैंपविवि. सं. एलईजी. 95/09.07.005/ 2004-05 के पैरा 3 को अधिक्रमित करेगा ।

आरबीआई/2012-13/169 शबैवि.बीपीडी परि.सं.5/13.01.000/2012-13, 17 अगस्त 2012

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता

कृपया वर्ष 2012-13 के लिए 17 अप्रैल 2012 को घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य का पैरा 88 और 89 देखें ।

2. नवंबर 2005 में शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 'शून्य' अथवा अत्यंत न्यूनतम शेष और प्रभार वाला एक बुनियादी बैंकिंग 'नोफ्रिल्स' खाता उपलब्ध कराएं, जिससे ऐसे खाते आबादी के बड़े हिस्से के लिए सुलभ हो सकें। 'नोफ्रिल्स' खातों के नाम से जुड़ी गलत अवधारणा को दूर करने के लिए एवं संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में अधिक समरूप रीति से बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुनियादी 'नोफ्रिल्स' खाता खोलने से सम्बन्धित दिशानिर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, वित्तीय समावेशन पर दिनांक 24 नवंबर 2005 के परिपत्र सं. यूबीडी.बीपीडी.परि.सं. 19/13.01.000/2005-06 में निहित अनुदेशों के अधिक्रमण में शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि बैंक एक "बुनियादी बचत बैंक जमा खाता" खोलने का प्रस्ताव दें जिसमें उनके सभी ग्राहकों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम सामान्य सुविधाएं दी जाएंगी:

i. 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' को सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध एक सामान्य बैंकिंग सेवा माना जाना चाहिए।

ii. इस खाते के लिए किसी न्यूनतम शेष की अपेक्षा नहीं रहेगी।

iii. इस खाते में उपलब्ध सेवाओं में बैंक की शाखा तथा एटीएमों में नकदी जमा व आहरण; इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनलों अथवा केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और विभागों द्वारा आहरित चेकों के जमा/संग्रहण के माध्यम से धन प्राप्ति /जमा, शामिल होंगे;

iv. यद्यपि एक माह के दौरान ग्राहक द्वारा जमा करने की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होगी, तथापि खाताधारकों को एक माह के अंदर एटीएम आहरणों सहित अधिकतम चार आहरणों की ही अनुमति होगी; और

v. एटीएम कार्ड अथवा एटीएम-सह-डेबिट कार्ड की सुविधा होगी;

3. उक्त सुविधाएं बिना किसी प्रभार के उपलब्ध कराई जाएंगी । साथ ही, 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' का परिचालन न होने पर या अपरिचालित खाते को सक्रिय करने के लिए किसी प्रकार का प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

4. शहरी सहकारी बैंक तर्कसंगत एवं पारदर्शी आधार पर निर्धारित बुनियादी न्यूनतम सेवाओं से परे अतिरिक्त मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए कीमतें तय करने वाली संरचना सहित अन्य अपेक्षाएं विकसित करने तथा उन्हें भेदभाव रहित आधार पर लागू करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

5. 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' बैंक खाते खोलने के लिए 'अपनेग्राहक को जानिए' (केवाईसी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (एएमएल) पर समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अधीन होगा । यदि ऐसा खाता सरलीकृत केवाईसी मानकों के आधार पर खोला जाता है, तो इस खाते को 'छोटा खाता' भी माना जाएगा और उस पर 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड/ धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व' पर दिनांक 02 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र यूबीडी.बीपीडी. (पीसीबी).एमसी.सं. 16/12.05.001/2012-13 के पैरा 2.6(iii) में निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

6. 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' के धारक उसी बैंक में कोई अन्य बचत बैंक जमा खाता खोलने के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि उस बैंक में किसी ग्राहक का कोई दूसरा बचत बैंक जमा खाता पहले से मौजूद है, तो उसे 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' खोलने की तिथि से 30 दिनों के भीतर उसे बंद करना होगा।

7. ऊपर पैरा 2 में निहित अनुदेशों के अनुसार मौजूदा बुनियादी बैंकिंग 'नोफ्रिल्स' खातों को 'बुनियादी बचत बैंक जमा खातों' में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए।

आरबीआई/2012-13/177ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.बीसी.सं. 26/ 07.38.01/2012-13, 28 अगस्त 2012

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक

जमाराशियों पर ब्याज दरें

कृपया 4 दिसंबर 1998 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं. आरएफ.बीसी. 39/ 07.38.01/ 98-99 देखें जिसके द्वारा राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों को अपने विवेक से ₹15 लाख तथा उससे अधिक की एकल मीयादी जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दर प्रदान करने की अनुमति इस शर्त के अधीन दी गई थी कि उन जमाराशियों सहित जिन पर विभेदक ब्याज दर का भुगतान किया जाता है, जमाराशियों पर देय ब्याज दरों की अनुसूची अग्रिम रूप में प्रकट की जाए तथा जमाकर्ता और बैंक के बीच ब्याज को लेकर कोई सौदेबाजी न हो।

2. इस संबंध में, 17 अप्रैल 2012 को घोषित मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-13 के जमाराशियों पर ब्याज दरों में भिन्नता से संबन्धित पैरा 84 एवं 85 (उद्धरण संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यह देखा गया है कि ₹15 लाख तथा उससे अधिक की एकल जमाराशियों तथा तदनुरूपी परिपक्वता अवधि की अन्य (अर्थात ₹15 लाख से कम की) जमाराशियों पर बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में काफी भिन्नताएँ हैं। साथ ही, बैंक उन जमाराशियों पर भी काफी अलग अलग ब्याज दर दे रहे हैं जिनकी परिपक्वता अवधि में बहुत कम अंतर है। इससे चलनिधि प्रबंधन प्रणाली और कीमत निर्धारण प्रक्रिया में अपर्याप्तता का पता चलता है। अतः, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे देयताओं के मूल्यन के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक पारदर्शी नीति लागू करें। बोर्ड/एएलसीओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ₹15 लाख एवं उससे अधिक की एकल मीयादी जमाराशियों तथा समान परिपक्वता अवधि की अन्य (अर्थात ₹15 लाख से कम) सावधि जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरों में न्यूनतम अंतर है।

भारिबैं/2012-13/183 डीपीएसएस. सीओ. पीडी. सं.391 / 02. 10.002/2012-13, 31 अगस्त, 2012

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक/
शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क ऑपरेटर/ कार्ड भुगतान नेटवर्क ऑपरेटर
भावी व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर

महोदय,

भारत में व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) - दिशानिर्देश

कृपया उपर्युक्त विषय पर 20 जून 2012 को जारी परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.2298/02.10.002/ 2011-2012 का संदर्भ लें।

2. गैर बैंकिंग संस्थाओं की ओर से हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि, यदि व्हाइट लेबल एटीएम स्थापित करने के लिए भुगतान और निपटान अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष प्राधिकरण हेतु आवेदन करते समय ₹100 करोड़ की निवल मालियत के मानदंडों को पूरा करने के लिए पूंजी को संस्था की तुलन-पत्र की लेखा परीक्षा के पश्चात लगाया जाए तो क्या इस पर विचार किया जाएगा।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह की गैर बैंकिंग संस्थाएं जो पूंजी लगाना चाहती हैं वे ऐसा कर सकती हैं बशर्ते कि वे एक सनदी लेखाकार से यह प्रमाणपत्र उपलब्ध करा दें कि यह अतिरिक्त पूंजी ₹100 करोड़ रुपए की निवल मालियत के मानदंड को पूरा करने के लिए लगाई गई है। इस संबंध में विहित दिशानिर्देशों के अनुसार प्राधिकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है, जो मौजूदा सनदी लेखाकार, जिसने संस्था के पिछले तुलन-पत्र की लेखापरीक्षा की हो या ऐसे सनदी लेखाकार जिसने पिछली तिमाही/छमाही के खातों की एक सीमित समीक्षा की हो, से प्राप्त किया गया हो ।